XIV-Form No. 563.

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व अपील वाद संख्या 11/2002

1. शेख अकबर
2. शेख अनवारूल

दोनों का पिता शेख बसीर
सा0– दियानी, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

1. गणेश मोदी, पिता–स्व0 शान्ति मोदी, सा0–कसबा, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षी नं0–1
2. मौलवी अनवर, पिता–शेख सजानी एवं अन्य

सा0–कसबा, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षी नं0–2

आ दे श

आवेदक द्वारा यह अपील विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ द्वारा वाद संख्या 45/98–99 (धारा 48ई0 बी0टी0एक्ट) में दिनांक 31.12.2001 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन मौजा–दियानी खाता नं0 240, खेसरा नं0–665, रकवा–3.26 एकड एवं खेसरा नं0–677, रकवा 22 डि0 जमीन भू–स्वामी के घर से काफी दूर है और भू–स्वामी द्वारा स्वयं खेती करना संभव नहीं था। आवेदक के अनुरोध पर भू–स्वामी ने मार्च 1987 में प्रश्नगत जमीन आवेदक को बटाई पर दिया और आवेदक प्रश्नगत जमीन पर खेती करने लगा। जनवरी 1998 से भू–स्वामी आवेदक को जमीन छोड़ने के लिए दबाव देने लगा। फलस्वरूप आवेदक ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में बटाई हक के लिए आवेदन दिया। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने समझौता बोर्ड का भी गठन किया लेकिन बोर्ड के प्रतिवेदन पर असहमति देते हुए स्वयं जांच कर वाद को खारिज कर दिया।

अतः आवेदक इस न्यायालय में बटाई हक के लिए यह अपील किया है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक ने कभी भी प्रश्नगत जमीन पर खेती नहीं किया है और न ही उसे बटाई पर खेत दिया गया था। आवेदक जमीन को हड़पने के नीयत से बटाई हक के लिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा स्वयं जांच कर आदेश पारित किया गया जो कानून की दृष्टि से सत्य है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल किए गए

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को दिनांक 28.02.2011 को सुना गया। आवेदक का यह कहना है कि विवादित जमीन पर उनके दखल–कब्जा के बारे में कुछ भी विवाद नहीं रहा। परन्तु विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ के द्वारा समझौता परिषद् के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया एवं खुद स्थल निरीक्षण किया। इस स्थल निरीक्षण में भी 5 व्यक्तियों द्वारा उनके पक्ष में बयान दिया गया। विपक्षी के द्वारा यह कहा गया कि उनके पास मात्र 4.13 एकड़ ही जमीन है, इसलिए 48 (ई0) बी0टी0 एक्ट के अर्न्तगत बटाईदारी का वादा लागू नहीं होगा। इससे संबंधी आदेश माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित है। इसके अलावे विपक्षी के द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा आवेदक से बटाईदार के रूप में कार्य नहीं लिया गया है। इसलिए मालिक बटाईदार का रिस्ता भी नहीं है।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ